न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, झंझारपुर, मधुबनी

<u>आपराधिक पुनरीक्षण संख्या : 216/2022</u>

<u>एम0 आर0 संख्या–667/2022</u>

<u>शैलेन्द्र यादव और अन्य बनाम बिहार राज्य</u>

<u>आदेश</u>

<u>24.11.2023</u> प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण याचिका एस0 डी0 एम0, फुलपरास द्वारा एम0 आर0 संख्या 667/2022 रामकली देवी बनाम शैलेन्द्र यादव में पारित आदेश अन्तर्गत धारा–107 दं0प्र0सं0 दिनांक 28.06.2022 को अपास्त करने हेतु संस्थित किया गया है।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। उक्त एम0आर0 संख्या–667/2022 में दिनांक 28.06.2022 को उभय पक्ष के बीच पूर्व के विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना के आधार पर निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को दो–दो लाख रूपये तथा समान राशि के दो जमानदारों का मुचलका बंधपत्र निष्पादन के लिए कारण पृच्छा मांगा गया था। उक्त निरोधक कार्रवाई एक साल तक शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु की गयी थी। इस तरह उक्त वाद में दी गयी समयावधि बहुत पहले ही अर्थात 28.06.2023 को समाप्त हो चुकी है तथा वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन बलहीन है तथा उक्त आदेश अप्रभावी होने के कारण उसमें दखल की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका निष्फल हो चुकी है तथा पोषणीय नही है। उपर्युक्त सम्प्रेक्षण के साथ आपराधिक पुनरीक्षण याचिका निस्तारित की जाती है। कार्यालय मूल वाद अभिलेख को आदेश की प्रति के साथ विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को तत्काल प्रेषित करें।

ले खा पि त

घनश्याम सिंह
अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय
झंझारपुर, मधुबनी